

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:निस/निदेशक(जन स्वास्थ्य)/2017/ 159

दिनांक: 10.11.17

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:— डी.बी. जनहित याचिका संख्या 20204/2017, 20200/2017 एवं
अवमानना याचिका संख्या 1839/2017 में पारित निर्देशों के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर में विचाराधीन डी.बी. जनहित याचिका संख्या 20204/2017, 20200/2017 एवं अवमानना याचिका संख्या 1839/2017 में दिनांक 10.11.2017 को दिये गये निर्देशों की पालना में जनहित को देखते हुये आपके अधीनस्थ पदस्थापित समस्त चिकित्सकों को तुरन्त अपनी ड्यूटी पर लौटने के लिये पाबन्द करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र सम्बंधित को मेल द्वारा भिजवाते हुये विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।